

न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर (द्वितीय), जयपुर

केस संख्या: 14/2018

उजवान:- चिखीवाल बनाम सुहाद

दिनांक 13/01/18 को पत्र नं. 14/2018
अतिरिक्त जयपुर न्यायालय/दफ्तर
की शर्त पर जयपुर न्यायालय के कार्यालय
न्यायाधीश जी के आदेश पर पी.ओ.स.
उपर्युक्त दिनांक 24/01/18 को पत्र नं. 14/2018

24/01/18 पत्रावली पेश की वहीन उजपपत्र 23/01/18
जब्त करी जाते उचित नोटिस दिनांक 28/01/18
दिने है।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

28/01/18 पत्रावली पेश हुई कि उक्त पत्र
अनुसंधान है। सुहाद के अनुसंधान
में जयपुर न्यायालय के कार्यालय में
व हादक हाजिरी में श्याक्ति किया
जाता है। पत्रावली की नंबर 14/2018
का डायरी दाखिल दफ्तर है।
निर्णय हादक दिनांक 28/01/18 को
सारे उजवान सिवाया मप्रा।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय